न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
52 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022	01.07.2022	15.05.2025

डॉ. मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री प्रेमचन्द जैन पुत्र स्व. श्री धूपचन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स धूपचन्द प्रेमचन्द जैन मेन मार्केट ककोड तह. उनियारा जिला टोंक(राज0)। निवासी वार्ड नं0 3 जैन मोहल्ला ककोड तह. उनियारा जिला टोंक राज0। पिनकोड–304024

2–श्री हरिनारायण शर्मा पुत्र श्री श्रीनारायण शर्मा प्रोपरायटर मैसर्स सपना ट्रेडिग कम्पनी नगरपालिका के पीछे उनियारा जिला टोंक राज0 निवासी बासों का तबेला उनियारा जिला टोंक राज0। पिनकोड–304024

3–श्री मोहित कुमार पुत्र श्री पवन कुमार प्रोपरायटर मैसर्स अजीत सरिया ट्रेडर्स मैन मार्केट फतेहपुर सीकर रोड जयपुर। पिनकोड–302013।

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii), (v)एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–आप्रार्थीगण की ओर से निर्माता फर्म प्रतिनिधि श्री मोहित कुमार उपस्थित।

:–निर्णय–: दिनांक 15.5.25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.02.2022 को समय 01:01 पी.एम. पर मैसर्स धूपचन्द प्रेमचन्द जैन मेन मार्केट ककोड तह. उनियारा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री प्रेमचन्द जैन पुत्र स्व. श्री धूपचन्द अपने प्रतिष्ठान मैसर्स धूपचन्द प्रेमचन्द जैन मेन मार्केट ककोड तह. उनियारा जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री प्रेमचन्द जैन पुत्र स्व. श्री धूपचन्द को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री प्रेमचन्द जैन पुत्र स्व. श्री धूपचन्द जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में गुड, तेल, घी, कन्फैक्शनरी, बिस्किट, मसाले, नमकीन अन्य खाद्य पदार्थ के साथ रैंक में 900–900 ग्राम के 2 नग व 452–452 ग्राम के 2 मूल पैक घी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

वृजवासी ब्राण्ड (Ghee Vrajvashi Brand) रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री प्रेमचन्द जैन पुत्र स्व. श्री धूपचन्द को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री प्रेमचन्द जैन पुत्र स्व. श्री धूपचन्द के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को सुपुर्द कर बताकर कि यह **घी वृजवासी ब्राण्ड (Ghee Vrajvashi Brand)** जिसके बैंच नम्बर वीजी–009 एवं पैंकिग की दिनांक 09/2021 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, दुकान में रखे 900–900 ग्राम के 2 मूल पैक पैक्ड **घी वृजवासी ब्राण्ड (Ghee Vrajvashi Brand)** में से 900 ग्राम का 1 मूल पैक कुल 900 ग्राम वास्ते नमूना जांच खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी वृजवासी ब्राण्ड (Ghee Vrajvashi Brand)** 900 ग्राम का 1 मूल पैक को खोलकर प्लास्टिक की साफ व सूखी चार शिशियों में बराबर–बराबर प्रत्येक शिशी 225–225 ग्राम भरकर ढक्कन को अच्छी तरह एयरटाईट कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग को गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3061 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3061 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर नमूना क्रय करते समय श्री प्रेमचन्द जैन पुत्र स्व. श्री धूपचन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स धूपचन्द प्रेमचन्द जैन मेन मार्केट ककोड तह. उनियारा जिला टोंक ने बतौर वारन्टी मैसर्स सपना ट्रेडिग कम्पनी नगरपालिका के पीछे उनियारा जिला टोंक का वारन्टी बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। आवेदक द्वारा मैसर्स सपना ट्रेडिंग से सम्पर्क करने पर फर्म के व्यवहारी ने बतौर वारन्टी मैसर्स अजीत सरिया ट्रेडर्स मैन मार्केट फतेहपुर सीकर रोड जयपुर का बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2022/730 दिनांक 24.03.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/671/एक्ट /2022/711 दिनांक 04.03.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया **घी वृजवासी ब्राण्ड (Ghee Vrajvashi Brand)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के रेगुलेशन नं. 2.3.7(2) के उल्लंघन के कारण **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** व

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(i)(zx) का उल्लंघन करने के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया।अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से निर्माता फर्म प्रतिनिधि श्री मोहित कुमार उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **घी वृजवासी ब्राण्ड (Ghee Vrajvashi Brand)** का विक्रय कर रहे थे, वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों को पूरा नहीं करता है। उक्त **घी वृजवासी ब्राण्ड (Ghee Vrajvashi Brand)** जांच में **कॉन्ट्रावेन (Contravene)**व **अवमानक(Sub-Standard)**स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने निर्माता फर्म प्रतिनिधि एवं पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **घी वृजवासी ब्राण्ड (Ghee Vrajvashi Brand)** का नमूना जांच में **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** व **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii),(v) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 58 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 25,000/–(अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में जब्तशुदा नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.5.25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन चौकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0